<u>उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड</u>

<u>फौजदारी याचिका संख्या 312/2016</u>

आस मोहम्मद

…….. याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य

.....प्रतिवादी

श्री जे सी गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्रीमती पुष्पा जोशी वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री सफदर, अपीलार्थी के अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त की।

श्री वी के जेमिनी, उप महाधिवक्ता के साथ श्रीमती ममता जोशी, राज्य के लिए संक्षेपण धारक।

साथ में

<u>फौजदारी याचिका संख्या 181/2015</u>

गुलफान @ गुलफाम एवं अन्य

…….. अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य

.....प्रतिवादी

श्री जे सी गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्रीमती पुष्पा जोशी वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री सफदर, अपीलार्थी के अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त की।

श्री वी के जेमिनी, उप महाधिवक्ता के साथ श्रीमती ममता जोशी, राज्य के लिए संक्षेपण धारक।

श्री अरविन्द वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री. इमरान अली खान, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त की।

साथ में

<u>फौजदारी याचिका संख्या 279/2015</u>

अमीर

…….. अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य

.....प्रतिवादी

श्री जे सी गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्रीमती पुष्पा जोशी वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री सफदर, अपीलार्थी के अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त की।

श्री वी के जेमिनी, उप महाधिवक्ता के साथ श्रीमती ममता जोशी, राज्य के लिए संक्षेपण धारक।

साथ में

<u>फौजदारी याचिका संख्या 175/2015</u>

मुंतयाज

.....अपीलकर्ता

बनाम

आस मोहम्मद एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

श्री अरविन्द वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री. इमरान अली खान, अपीलार्थी/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त की।

श्री जे सी गुप्ता वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्रीमती पुष्पा जोशी वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री मोहम्मद सफदर, अभियुक्त/निजी उत्तरदाताओं के अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त की।

<u>कोरमः माननीय सुधांशु धूलिया, जे.</u>

माननीय रमेश चंद्र खुल्बे, जे._____

<u>माननीय सुधांशु धूलिया, जे. (मौखिक)</u>

ये सभी आपराधिक अपीलें, सत्र विचारण संख्या 42/2012, राज्य बनाम आस मोहम्मद एवं अन्य में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.05.2015 से उत्पन्न हुई हैं।

2. आरोपी/अपीलकर्ता आस मोहम्मद को आईपीसी की धारा 302, 326 /149, 452 /149, 148, 147 और 504 /149 के तहत दोषी ठहराया गया है और आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है; आईपीसी की धारा 326 /149 के तहत दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा; आईपीसी की धारा 452 /149 के तहत चार साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा; आईपीसी की धारा 148 के तहत दो साल की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा; आईपीसी की धारा 147 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा; और आईपीसी की धारा 504 /149 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। सजाओं में जुर्माना भी शामिल है।

3. अन्य अभियुक्त/अपीलकर्ता (अर्थात् अपीलकर्ता की आपराधिक अपील संख्या 181 और 2015 की आपराधिक अपील संख्या 279) को आईपीसी की धारा 326 /149, 452 /149, 148, 147 और 504 /149 के तहत दोषी ठहराया गया है और एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 326 /149 के तहत दस साल की सज़ा और आईपीसी की धारा 452 /149 के तहत चार साल की कठोर कारावास; आईपीसी की धारा 148 के तहत दो साल की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा; आईपीसी की धारा 147 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा; और आईपीसी की धारा 504 /149 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भी भुगतना होगा। सजाओं में जुर्माना भी शामिल है।

4. तीसरी आपराधिक अपील संख्या 175 / 2015 शिकायतकर्ता/पीड़ित की ओर से सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान के तहत दायर की गई है। यह अपील आईपीसी की धारा 149 की

सपठित धारा 307 और 302 के तहत आरोपी/अपीलकर्ताओं, गुलफान उर्फ गुलफाम, सहरान, अमीर और फुरकान को बरी करने के खिलाफ है।

5. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.08.2011 को रात्रि 09:15 बजे मुन्तयाज नामक व्यक्ति द्वारा थाना भगवानपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि आस मोहम्मद (मुख्य आरोपी और इस अदालत के समक्ष अपीलकर्ता) के बच्चों और शिकायतकर्ता के पोते के बीच सुबह झगड़ा हुआ था, और इसका बदला लेने के लिए, शाम लगभग 06.40 बजे, आस मोहम्मद, सहरान, गुलफ़ान, सुमन, अमीर और फुरकान, प्रत्येक चाकू, "पलकटी", और "तबल" जैसे हथियारों के साथ शिकायतकर्ता के घर में घुस गए और शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर गालियों की बौछार शुरू कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि वे आज उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। शिकायतकर्ता के बेटे मोबीन (मृतक) ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की *पलकटी एक तेज धार वाला हथियार है, हालांकि आमतौर पर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। और उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग बंद करने को कहा। इस पर, आस मोहम्मद ने मोबीन को जान से मारने की नियत से उस पर चाकू से वार कर दिया। इसी बीच उनके पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए और बीच-बचाव करने की कोशिश की। इस पर, सहरान और गुलफ़ान, जिनके पास क्रमशः चाकू और "पलकटी" थे, ने हस्तक्षेप करने वालों पर अपने हथियारों से हमला किया। वहां मौजूद कुर्बान और अनवर पर भी अमीर और फुरकान ने अपने पास मौजूद चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे बीच-बचाव करने आए लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया गया है जो घटना स्थल पर मौजूद थे, जैसे, फैयाज, सत्तार, मोहब्बत, जाबिर, आदि। इस बीच, शिकायतकर्ता के बेटे मोबीन और घायलों को रूड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां मोबीन को मृत घोषित कर दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा आगे बताया गया कि उसके बेटे का शव अस्पताल में पड़ा हुआ है, और अन्य घायलों को उनकी गंभीर चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उच्च केंद्र में भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।

6. अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों, गुलफान, फुरकान और सहरान को 06.08.2011 को गिरफ्तार किया गया था, अमीर को 08.08.2011 को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी आस मोहम्मद ने अंततः काफी देर बाद 19.08.2011 को आत्मसमर्पण कर दिया।

7. पुलिस ने अपनी जांच के बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट में छह नामित व्यक्तियों में से पांच आरोपियों/अपीलकर्ताओं, आस मोहम्मद, गुलफान, सहरान, अमीर और फुरकान के खिलाफ

आरोप पत्र दायर किया, सुभान को छोड़कर अन्य सभी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिन्हें एफआईआर में नामजद किया गया था। विचारण के दौरान भी अभियोजन पक्ष की ओर से सुभान को अभियुक्त बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

8. इस बीच, अन्य प्रावधानों के अलावा, धारा 302 / 34 सपठित धारा 149 आईपीसी, धारा 307 / 34 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। जबकि सत्र कोर्ट के समक्ष मौजूद पांच आरोपियों/अपीलकर्ताओं में से केवल एक आरोपी यानी आस मोहम्मद को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और शेष आरोपियों/अपीलकर्ताओं को धारा 326 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है। सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 148, 452 / 149 और 504 / 149 के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

9. इस मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की है। इन सभी गवाहों में से छह गवाह चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें पीडब्लू 1 मुन्तयाज़ भी शामिल है जिसके 28 वर्षीय बेटे मोबीन की उसकी आँखों के सामने चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इन छह चश्मदीद गवाहों में से, पीडब्लू 2 इनाम, पीडब्लू 3 कुर्बान, पीडब्लू 4 अनवर और पीडब्लू 5 आबाद, चार घायल चश्मदीद गवाह हैं। फय्याज छठा चश्मदीद गवाह है। ये सभी प्रत्यक्षदर्शी अपनी गवाही पर कायम हैं। उन्हें बचाव पक्ष के हाथों विस्तृत और लंबी जिरह का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ भी सार्थक सामने नहीं आया है जिससे उनकी गवाही पर संदेह हो।

10. PW1 मुन्तयाज़ शिकायतकर्ता और मृतक के पिता है जो घर में मौजूद थे जब पांच हमलावर तेज धार वाले हथियारों के साथ उसके घर में घुसे और उसके बेटे की हत्या कर दी। अपने मुख्य परीक्षण में, PW1 कहता है कि उसके मृत बेटे के बच्चों और आस मोहम्मद के बच्चों में सुबह कुछ झगड़ा हुआ था और इसी वजह से आस मोहम्मद ने दुश्मनी पाल रखी थी और अन्य लोगों के साथ उसके घर में घुस आया था। इस समय, यह बताना जरुरी होगा कि ज्यादातर हमलावर करीबी रिश्तेदार हैं। उदाहरण के लिए, आस मोहम्मद जो मुख्य हमलावर है, और जिसने मृतक पर चाकू से वार किया और उसकी हत्या कर दी, वह एफ आई आर में नामजद अन्य दो हमलावरों और "गैरकानूनी सभा" के सदस्यों का पिता है, यानी सहरान और सुभान*।गुलफान आस मोहम्मद का भाई है। अमीर, आस मोहम्मद का साला है और फुरकान, अमीर का बेटा है।

11. पीडब्लू 1 ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 05.08.2011 की शाम, उपरोक्त सभी व्यक्ति उसके घर में घुस गये और उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को गाली देने लगे तथा उसके बाद धमकी दी कि वे उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब शिकायतकर्ता के बेटे मोबीन (मृतक) ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आस मोहम्मद ने उसके बेटे को पकड़ लिया, उसे कमरे से बाहर खींच लिया और अपने पास मौजूद चाकू से उसके बेटे की छाती पर वार कर दिया। शिकायतकर्ता के बेटे की छाती के दोनों तरफ चाकू मारा गया। शुरुआत में मोबीन ने भागने की कोशिश की लेकिन जल्द ही खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। इस दौरान, शोर सुनकर उनके पड़ोसी इनाम और अबाद उनके घर के आसपास इकट्ठा हो गए और हमलावरों को रोकने की कोशिश की। सहरान (आस मोहम्मद का पुत्र) जो चाकू लिए हुए था और गुलफ़ान जो "पलकटी" लिए हुए था, ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्हें मारने के इरादे से इनाम और अबाद पर हमला किया। फलस्वरूप, दो यानी इनाम और अबाद को चोटें आयी। इसी बीच कुर्बान और अनवर भी घटना स्थल पर आ गये और हमलावरों को रोकने की कोशिश की। तब *सुबहान को ले जाने वाले अमीर और फुरकान आरोप-पत्र में नामजद नहीं था। उन्होंने कुर्बान और अनवर पर चाकुओं से हमला कर दिया। घायलों और मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां मृतक (मोबीन) को मृत घोषित कर दिया गया और बाकी घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए उच्च केंद्र रेफर कर दिया गया।

12. पीडब्लू 1 भी बरामदगी का गवाह है। उसने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि गुलफान और फुरकान की गिरफ्तारी के अगले दिन वह पुलिस के साथ बरामदगी का गवाह के रूप में गया था। इसके बाद गुलफान के कहने पर एक "पलकती" और फुरकान के कहने पर एक चाकू पुलिस ने उसकी मौजूदगी में बरामद किया।

13. यह गवाह जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है बचाव पक्ष द्वारा लंबी जिरह की गई। वह अपनी गवाही में लगातार कायम रहा है। बचाव पक्ष द्वारा पूछताछ करने पर उसने जवाब दिया कि आस मोहम्मद ने ही उसके बेटे मोबीन की छाती पर चाकू मारा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि घटना में "लाठी" और "बल्लम" का उपयोग नहीं किया गया था। इस गवाह से बचाव पक्ष द्वारा एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया जो यह था कि जब सभी हमलावर उसके घर पहुंचे तो मोबीन (मृतक) को घर में मारा था या घर के बाहर? इस विशिष्ट प्रश्न पर, गवाह ने उत्तर दिया कि उसके बेटे को कमरे से खींच लिया गया और कमरे के बाहर, दरवाजे पर चाकू मारा गया। फिर वह जवाब देता है कि उसके बेटे को ज़ब्बार के घर तक नहीं घसीटा गया (जो उसके घर से

लगभग 50 से 100 गज की दूरी पर था), जहाँ वह अंततः गिर पड़ा। वह जवाब देते हैं कि उनके बेटे ने भागने की कोशिश की, लेकिन सीने पर चाकू के घाव के कारण वह ज़ब्बार के घर के पास गिर गया, लेकिन गिरने से पहले, आस मोहम्मद ने उसकी छाती के दूसरी ओर चाकू से एक और घातक वार किया। मृतक मोबीन के पोस्टमॉर्टम से निम्नलिखित चोटों का पता चलता है:--

> "(1) बाएं निपल से 4 सेमी नीचे 6वीं और 7वीं पसली के बीच कॉस्टल स्थान पर 4 x 1 सेमी का कटा हुआ घाव। काफी गहरी दिखायी दे रहा है।
>
> (2) छाती के दाहिनी ओर 4 सेमी नीचे की ओर 0.5 x 0.5 सेमी गहरा कटा हुआ घाव, ट्रैक नीचे की ओर जा रहा है।""

14. मृत्यु का कारण "हृदय में मृत्यु पूर्व चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव" है।

15. पीडब्लू 2 इनाम, पीडब्लू 1 के संस्करण की पुष्टि करता है, जैसा कि वह कहता है कि आस मोहम्मद ने ही मोबीन पर अपने चाकू से वार किया था। वह आगे बताता हैं कि जब उसने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो सहरान द्वारा उस पर हमला किया गया। इस विशिष्ट गवाह का दिनांक 05.08.2011 को राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से में 3 सेमी x 2 सेमी आकार का एक घाव है और ताज़ा रक्तस्राव मौजूद था। इस गवाह ने आगे कहा है कि उसकी बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से पर लगा घाव बहुत गंभीर था कि वह कमज़ोर और "नपुंसक" हो गया। फिर भी, इस आशय का कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।हालाँकि, तथ्य यह है कि उनकी चोट गंभीर थी क्योंकि उनकी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर एक लंबा, गहरा और फटा हुआ घाव था, जिसके कारण उन्हें शुरू में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और बाद में लंबे समय तक निष्क्रिय रखा गया था।

16. पीडब्लू 3 कुर्बान एक अन्य घायल गवाह है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करता है जैसा कि शिकायतकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षा में पहली बार में दिया था। इस विशिष्ट गवाह का कहना है कि जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश किया, अमीर ने उस पर हमला किया और उसे पेट के बायीं ओर निपल के नीचे 2.5 सेमी x 0.5 सेमी आकार का चाकू का घाव लगा।

17. पीडब्लू 4 अनवर एक अन्य घायल प्रत्यक्षदर्शी है जो अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करता है और कहता है कि जब उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और हमलावरों को रोकने की कोशिश की, तो सुभान ने उस पर "तबल" से हमला किया।

18. पीडब्लू 5 आबाद एक घायल गवाह है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी का भी समर्थन करता है और कहता है कि जब उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और हमलावरों को रोकने की कोशिश की, तो गुलफान ने उस पर "पलकटी" से हमला किया।

19. पीडब्लू 6 फ़ैयाज़, घटना का चश्मदीद गवाह है, हालाँकि वह घायल नहीं हुआ था, लेकिन वह उसी गाँव का निवासी है, और उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि हमलावरों के पास कौन से हथियार थे और किसने किसको चोट पहुंचाई। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण और पीडब्लू1 की गवाही से पूरी तरह पुष्ट होता है। अन्य गवाहों की तरह, उन्होंने भी पुष्टि की है कि अंतिम मारपीट और मोबीन की हत्या ज़ब्बार के घर के बाहर हुई थी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ज़ब्बार का घर शिकायतकर्ता के घर से बमुश्किल 50 से 100 गज की दूरी पर था जहाँ मृतक की छाती पर दूसरा वार किया गया था और अन्य हमलावरों ने उन लोगों को घायल कर दिया था जिन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, ये पीडब्लू 2 से पीडब्लू 5 के रूप में घायल गवाह हैं।

20. उपरोक्त सभी चश्मदीद गवाह, जिनमें से चार घायल चश्मदीद गवाह हैं। अत्यंत विश्वसनीय गवाह हैं। वे एक ही गांव के रहने वाले हैं और पड़ोस में रहते हैं। उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने विचारण न्यायालय के विश्वास को प्रेरित किया है और हमारे विचार से यह सही भी है।

21. पीडब्लू 7 डॉ. एस.एन. सिंह, जिनके द्वारा 06.08.2011 को मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया गया था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के सीने पर दाहिनी और बायीं ओर दो घाव दिखाई देते हैं।मृतक की छाती का बायां भाग।पहला 6 वीं और 7 वीं पसली के बीच तटीय स्थान पर 4 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव है, जो बाएं निपल से 4 सेमी नीचे है और दूसरा छाती के दाईं ओर 0.5 x 0.5 सेमी गहरा कटा हुआ घाव है, जो नीचे की ओर है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण "हृदय में मृत्यु पूर्व चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव" है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि घाव इतने गहरे थे कि उसने मृतक के दिल

में गहरा घाव बना दिया था! इस विशिष्ट गवाह ने अपने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मृत्यु का कारण हृदय में लगी मृत्यु पूर्व चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव था।

22. पीडब्लू 8 एच सी पी राजेंद्र सिंह एफआईआर के लेखक हैं, जिन्होंने चिक एफआईआर को साबित किया है।

23. पी डब्लू9 खून से सने चाकू की बरामदगी का गवाह है जो मुख्य अभियुक्त आस मोहम्मद की निशानदेही पर बरामद किया गया था। पी डब्लू 10 इंतजार फर्द लेने कब्जे का गवाह है, जिसने कहा है कि खून से सनी मिट्टी और सादे मिट्टी को पुलिस ने उसकी उपस्थिति में लिया था। पी डब्लू 11 जयकृत सिंह ने मृतक मोबीन की पंचायतनामा तैयार किया है और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पी डब्लू 12 पंचायतनामा का गवाह है।

24. पीडब्लू 13 डॉ. कुमार खगेंद्र हैं, जिन्होंने घायलों, जिनके नाम कुर्बान, आबाद, इनाम और अनवर की चिकित्सकीय जांच की थी। अपने मुख्य परीक्षा में, इस गवाह ने कहा कि कुर्बान को बाएं निपल के नीचे छाती पर 2.5 x 0.5 सेमी के आकार का चाकू का घाव लगा था और आंतें बाहर आ गई थीं। वह आगे बताते हैं कि शुरुआती इलाज के बाद कुर्बान को उच्च केंद्र रेफर कर दिया गया था। उसी दिन रात 08:30 बजे, एक अन्य घायल गवाह यानी अबाद का इस गवाह द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उसके शरीर पर बायीं पसलियों पर 5 सेमी x 0.5 सेमी के आकार का चाकू का घाव पाया गया और पेट के दाहिनी ओर 3 सेमी x 0.5 सेमी के आकार का एक और चाकू का घाव भी पाया गया।

25. पीडब्लू 14 जवाहर लाल और पीडब्लू 15 प्रवीण सिंह कोश्यारी इस मामले में विवेचना अधिकारी थे।

26. सत्र न्यायालय के समक्ष मौजूद सबूतों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि घटना बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी पहली सूचना रिपोर्ट में बताई गई थी और यह विचारण न्यायालय के समक्ष उचित संदेह से परे साबित हुई।

27. अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों की समग्रता, चश्मदीद गवाहों के रूप में भारी सबूत, जिसमें विचारण न्यायालय के समक्ष घायल चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं, जिनकी उपस्थिति कभी संदेह में नहीं थी, आईपीसी की धारा 302, 326 /149, 452/149, 148, 147 और 504 /149 के तहत आस मोहम्मद की दोषसिद्धि और सजा के संबंध में सत्र न्यायालय के निष्कर्षों को पूरी तरह से सही ठहराती है।

28. फलस्वरूप, आपराधिक अपील संख्या 312/2016 को खारिज कर दिया गया है।हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हैं।

29. शेष अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं (अर्थात आपराधिक अपील संख्या 181/2015 और 2015 की आपराधिक अपील संख्या 279 में अपीलकर्ता) के मामले को शिकायतकर्ता/पीड़ित की ओर से उठाए गए तर्कों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए, जिनकी अपील (आपराधिक अपील संख्या 175/2015) भी इस न्यायालय के समक्ष है।

30. शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ का कहना है कि भारी सबूतों को देखते हुए इसमें कभी संदेह नहीं है कि अपराध पांच सदस्यों की "गैरकानूनी सभा" द्वारा किया गया था। सबसे पहले गैरकानूनी जमावड़े ने घातक हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर में घुसकर अपराध को अंजाम दिया। प्रत्येक हथियार का उपयोग किसी व्यक्ति को मारने के लिए किया जा सकता है। अपने सामान्य उद्देश्य से, यानी मृतक को मारने के उद्देश्य से, वे न केवल शिकायतकर्ता के घर में घुसे, शिकायतकर्ता के बेटे को घर में चाकू मार दिया और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और फिर से चाकू मारा गया, और उसे मार दिया गया। यह इस गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य था! बाकी घायलों को जो चोट आई है, वह सिर्फ अनुवर्ती है। बाकी जो लोग घायल हुए हैं, वे मामले में हस्तक्षेप करने और हमलावरों को रोकने का प्रयास करने के कारण घायल हो गए। इन सभी को गंभीर चोटें आई हैं।

31. शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ भी यह तर्क देंगे कि मामले की प्रकृति, तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए, यह हत्या के प्रयास का भी मामला होगा, न कि केवल घायल व्यक्तियों को गंभीर चोटें पहुंचाने का।

32. शिकायतकर्ता/पीड़ित के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह बहस इस तर्क पर आधारित है। यह न्यायालय का एक प्रशंसनीय निष्कर्ष हो सकता है। वास्तव में, अदालत के सामने बहुत सारे सबूत थे जिन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटनाओं के अनुक्रम को स्थापित किया है। हमलावर घातक हथियारों के साथ शिकायतकर्ता के घर में घुस आए। इसके बाद मोबीन की हत्या कर दी। अपीलकर्ताओं ने घर के बाहर शेष घायल व्यक्तियों को भी चोटें पहुंचाईं, जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की।

33. धारा 149 आईपीसी के अवयव स्पष्ट हैं। किसी गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं अर्थात् अपने कृत्य से कोई गलत कार्य करे। केवल दो सामग्रियां

आवश्यक हैं. पहला, उसका उस गैरकानूनी सभा का सदस्य होना और दूसरा, गैरकानूनी सभा द्वारा उस अपराध को करना, सामान्य उद्देश्य है। यदि गैरकानूनी सभा का कोई सदस्य इस बात से अवगत है कि उस अपराध के घटित होने की संभावना है, तो गैरकानूनी सभा का वह सदस्य भी अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार है, भले ही उसने "सक्रिय रूप से" अपराध नहीं किया हो।

34. शिकायतकर्ता की ओर से तर्क स्पष्ट है। तर्क यह है कि जब पांच हमलावर शिकायतकर्ता के घर में आये तो प्रत्येक घातक हथियार के साथ था और अंततः व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य हत्या के अपराध के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

35. फिर भी, विचारण न्यायालय ने इस मामले में जो दृष्टिकोण अपनाया वह यह था कि हत्या का कृत्य, जहां मृतक पर चाकू से दो घाव किए गए थे, एक दाहिनी ओर और दूसरा उसकी छाती के बाईं ओर, जो घातक थे। ये किसी और ने नहीं बल्कि आस मोहम्मद ने किए थे और बाकी हमलावरों ने मृतक को कोई घाव या चोट नहीं पहुंचाई थी। सभी चश्मदीद गवाहों ने घटना का जिक्र करते हुए खुलासा किया कि आस मोहम्मद के अलावा किसी अन्य आरोपी ने मृतक को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाई थी। न ही किसी अन्य अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने की कोई भूमिका सौंपी गई है, जहाँ तक मृतक का संबंध है।लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जैसा कि ऊपर पहले ही कहा जा चुका है। गैरकानूनी सभा के सदस्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसने मृतक को घाव पहुँचाया हो। हालाँकि, सत्र न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि गैरकानूनी सभा का उद्देश्य केवल गंभीर चोट पहुँचाना था न कि हत्या करना।

36. हमने उन साक्ष्यों की फिर से सराहना की है जो विचारण न्यायालय के समक्ष मौजूद थे और हमें यह विश्वास करने के लिए भी राजी किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत एक स्वीकार्य दृष्टिकोण हो सकता है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए। अभियोजन पक्ष द्वारा शाम करीब 06.40 बजे हमलावरों के शिकायतकर्ता के घर में घुसने का एकमात्र कारण यह बताया गया कि सुबह करीब 10-11 बजे मृतक के बेटे और हमलावर के बेटे, जिनकी उम्र 8 से 10 साल थी, के बीच झगड़ा हुआ था। अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में लगातार यह बात सामने आई है कि मृतक के परिवार और आरोपी के बीच किसी भी तरह से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसलिए, यह कोई अनुचित निष्कर्ष नहीं होगा कि गैरकानूनी सभा का "इरादा" केवल मृतक को चोट पहुंचाना था,

न कि उसे मारना। यह एक उचित दृष्टिकोण है।दोनों ही दृष्टिकोण संभव हैं। हम इस तथ्य के प्रति भी सचेत हैं कि हम दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील से निपट रहे हैं, इस पहलू पर, और यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, कि हालांकि अपीलीय न्यायालय की शक्तियां वही रहेंगी जो सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते समय थीं। अपीलीय न्यायालय को इन मामलों में अधिक सावधान और सतर्क रहना होगा। जब किसी स्थिति में दो विचार संभव हों, तो आम तौर पर विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वहां कोई बड़ी गलती न हो।

37. इसके मद्देनजर, हम विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं और परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 181 /2015, आपराधिक अपील संख्या 279/2015 और साथ ही आपराधिक अपील संख्या 175 /2015 को खारिज करते हैं।

38. अभियुक्त/अपीलार्थी जेल में हैं। वे विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा काटेंगे।

39. निचली न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ इस फैसले की एक प्रति आगे के अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को वापस भेजी जाए।

(रमेश चंद्र खुबले, जे.) **(सुधांशु धूलिया, जे.)**

28-03-2019